विचार बिन्दु

सत्याग्रह बल प्रयोग के विपरीत होता है। हिंसा के संपूर्ण त्याग में ही सत्याग्रह की कल्पना की गई है। –महात्मा गांधी

महाअभियोग के संवैधानिक प्रावधानों का प्रयोग न्यायाधीश स्वामीनाथन के विरूद्ध न केवल अलोकतांत्रिक है, अपितु न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर कटु प्रहार है

देश के 56 सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के न्यायाधीशों द्वारा लिखा गया पत्र, जिसमें संसद के उन सदस्यों को विद्ड्रो करने का आग्रह किया है, जिसके द्वारा उन्होंने मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन के विरूद्ध महाअभियोग की कार्यवाही करने की मांग की है। संसद के अध्यक्ष को प्रेषित किया है उसकी प्रक्रिया की कटु आलोचना की है। उनका कथन है कि यह कार्य संविधान के प्रावधानों की गरिमा उद्देशिका में वर्णित मूल भवना तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रताा पर कटु प्रहार है।

अपने पत्र में 50 पूर्व न्यायाधीशों ने स्पष्ट शब्दों में अपने विचार दिये हैं कि कुछ सांसदों और एडवोकेट्स न्यायालय (न्यायाधीशों) को दवाब में लाना चाहते हैं, वह भी केवल इसलिये कि वे लोग जस्टिस महोदय की राजनीतिक अथवा Ideological विचार धारा से सहमत नहीं हैं। यह सोच न्यायाधीश स्वतंत्रता के विरूद्ध है व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विपरीत है।

यह घटना क्रम उस समय हुआ, जब जस्टिस स्वामीनाथन ने एक पिटीशनर की पिटीशन पर जो अपने को Right Wing Activist मानता है, जस्टिस स्वामीनाथन ने, सुनवाई के बाद यह निर्देशन राज्य सरकार को दिया कि पवित्र दीपक पहाडी शिखर पर प्रज्वलित किया जा सके इसकी व्यवस्था हो ताकि कोई व्यवधान न हो। राज्य के अधिकारियों का कथन था कि दीप मंडप के सामने दीपक जलाने की प्रथा बहुत पुरानी है। मस्जिद और दीप दोनों पहाडी की चोटी पर हैं बीच में रिक्त स्थान है। ऐसा भी है कि कोर्ट के निर्णय है जहां दीप मंडप पर दीपक प्रज्वलित करने की प्रथा का जिक्र है। लेखक का इस प्रसंग के कानूनी गुणदोष पर कोई प्रतिक्रिया अभिव्यक्त नहीं कर रहा है। प्रश्न इतना है कि जब जस्टिस स्वामीनाथन के आदेश के विरूद्ध कोई अपील नहीं है तो फिर क्या मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के विरूद्ध इस आदेश को महाअभियोग की कार्यवाही के द्वारा बिना निरस्त किये जस्टिस महाअभियोग की सजा में नौकरी से निकाला जा सकता? 56 पूर्व न्यायाधीशों ने अपने पत्र में इस प्रक्रिया को चुनौती देते हुये कहा है कि मद्रास हाईकोर्ट के न्यायाधीश को इस प्रकार नौकरी ने निकालने की कार्यवाही करना सर्वथा अवैध, अन्धकृत और विवेकहीन है। नि:सन्देह इस प्रकार की कार्यवाही को न्याय संगत नहीं माना जा सकता यह अप्रत्यक्ष रूप से न्यायाधीशों को Brow Beat करना ही कहा जावेगा। लोकतंत्र में न्यायाधीश को निर्भीक व स्वतंत्र विचार धारा का होकर संविधान व लोकतंत्र की मर्यादाओं के अनुसार एक सबल रक्षक के रूप में काम करना होता है। पूर्व न्यायाधीशों ने स्पष्ट शब्दों में विचार रखते हुये कहा है महाअभियोग के प्रतिवेदन में कोई भी संगत आधार प्रतिलक्षित नहीं होते, क्योंकि महाअभियोग की कार्यवाही असाधारण परिस्थितियों में ही होना चाहिये। लोकतंत्र में न्यायालयों को स्वतंत्र, किसी बाहरी शक्ति के दवाब से दूर ही रहना चाहिये। इस प्रकार की कार्यवाही रूल ऑफ लॉ के लिये गम्भीर खतरा है। महाअभियोग की कार्यवाही असाधारण है यह कार्यवाही तो न्यापालिका की गरिमा को बनाये रखने के हेतु ही की जाना अपेक्षित है। संविधान ने अपनी उद्देशिका मे स्पष्ट घोषणा की है, भारत के लोग भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिये तथा उसके नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने के लिये दृढ संकल्प होकर संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

कुछ समय से देश में देश के न्यायाधीशों पर कोर्ट की कार्यवाही सुनवाई करते समय वकीलों से प्रश्न पूछे जाने और जजों की टिप्पणी को इस प्रकार उद्घृत किया जाता है, जिससे यह कयास लगाया जाता है कि वे जजों को दवाब में लाना चाहते हैं। कुछ दिनों पूर्व सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकान्त ने रोहिंग्या के प्रकरण पर टिप्पणी की थी।

पूर्व न्यायाधीशों में सुप्रीम कोर्ट के कई पूर्व न्यायाधीश व हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश भी हैं। ये सब ही यशस्वी न्यायाधीश रहे हैं, अतः इन सबसे जब मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस स्वामीनाथन के पक्ष में उपरोक्त संदर्भ में कोई बात कही है तो उसका महत्व हमें समझाना होगा, यह विषय महाअभियोग लाने का तो नहीं हो सकता।

कुछ समय से देश में देश के न्यायाधीशों पर कोर्ट की कार्यवाही सुनवाई करते समय वकीलों से प्रश्न पूछे जाने और जजों की टिप्पणी को इस प्रकार उद्घृत किया जाता है, जिससे यह कयास लगाया जाता है कि वे जजों को दवाब में लाना चाहते हैं। कुछ दिनों पूर्व सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकान्त ने रोहिंग्या के प्रकरण पर टिप्पणी की थी। उसके साथ जस्टिस जॉय माल्या बागची भी थे। मुख्य न्यायाधीश महोदय ने कुछ गणमान्य लोगों को पत्र लिखकर इस पर आपत्ति की थी, इस पर प्रतिक्रिया देते हुये माननीय न्यायाधीश ने एक अन्य केस में सुनवाई के समय कहा था कि वे टफ आदमी है कोई ऐसा नहीं समझे कि न्यायपालिका ऐसी क्रियाओं पर दवाब में आ जायेगी। जस्टिस बागची ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा था कि "जजों द्वारा सवाल पूछने से रोकने का यह एक संगठित प्रयास है। वस्तुतः मुख्य न्यायाधीश ने रोहिंग्या घुसपैठियों का रैड कारपेट (लाल कालीन) बिछाकर स्वागत करे"।

कई बार टिप्पणी के द्वारा न्यायाधीशगण समस्या को समझने का प्रयत्न करते हैं, इन्हें किसी भी प्रकार कोर्ट का निर्णय नहीं माना जाना चाहिये, किन्तु ऐसी टिप्पणी को जज ही पूर्व निर्धारित मानसिकता के साथ नहीं जोड़ा जा सकता।

इन सब परिस्थितियों से ऐसा प्रतीत होता है कि लोकतंत्र में अदालतों की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने का अलोकतांत्रिक प्रयास किया जा रहा है। इसे सावधानी से रोकना और गम्भीरता से विरोध करना अतिआवश्यक है।

इसी क्रम में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकान्त ने कहा सोशल मिडिया को नियंत्रित करने के समाचार के विषय में कहा कि ऐसे कठोर प्रतिबंध की आवश्यकता नहीं है, किन्तु सोशल मिडिया पर यह टिप्पणी की कि सोशल मिडिया जब संदर्भ हटाकर ट्रोलिंग की जाने प्रवृति को अपनाता है, उसकी अनदेखी भी नहीं की जा सकती।

लोकतंत्र की मजबूती इस पर निर्भर है वहां पर न्यायिक स्वतंत्रता पर कोई भी समझौता नहीं है जैन धर्म के धर्मावलंबियों की एक प्रार्थना है, "रहे भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूँ, या कोई कैसा भी भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग मेरा कभी न पथ डिगने पाये"।

इसका अर्थ है नयायाधीश निष्पक्ष हो विषय का ज्ञाता हो, केस की, जिसका उसे निर्णय करना है, उसके तथ्यों की पकड़ हो, जिसकी IntegrityMebkeâe से परे हो। युधिष्ठिर ने महाभारत में कहा था:–

'धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः तस्माद्धर्मो न हन्तव्यो मा नो धर्मो हतोऽवधीत्।'

"Dharma protects those who protect it. Those who destroy Dharma gets destroyed as a consequence thereof."

क्या जस्टिस स्वामीनाथन ने ऐसा केाई कृत्य किया है जो उपरोक्त मापदण्डों के विपरीत हो। फिर क्या उनके विरूद्ध महाअभियोग की असाधरण कार्यवाही की जावे?

सत्यमेव जयते!

–अतिथि सम्पादक,
पानाचन्द जैन,
पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

राजस्थान में बिना महाविद्यालय और अध्यापकों के कृषि उच्च शिक्षा - एक प्रस्तावित मॉडल

वीर बहादुर सिंह

विज्ञान और तकनिकी विकास के स्तर को देखते हुए अब प्रतीत हो रहा है कि स्नातक कृषि शिक्षा में भी कुछ नवीन आयाम खुलने चाहिए अथवा शिक्षा प्रदान करने की कक्षा कक्ष की प्रणाली में कुछ परिवर्तन घटित हों। ऐसा इसलिए कि विषय वस्तु भार अपेक्षा से कहीं अधिक बढ़ चुका है। ऐसे में यदि अपरिमित संसाधन और विषय सामग्री का समावेश पाठ्यक्रम में होता रहे तो छात्र के लिए उसे आत्मसात करने के लिए समय कम पड सकता है, और अध्यापक के लिए कालांश की संख्या में बढ़ोतरी भी जरुरी हो जाती है। हमें याद है आरम्भ में स्नातक केवल दो वर्ष का पाठ्यक्रम ही था, बढ़ती विषय सामग्री ने सेमेस्टर पध्यति में चार सेमेस्टर, फिर छः और अब आठ सेमेस्टर तक पहुंचा दिया है। इसलिए छात्र और अध्यापक दोनों को राहत स्वरुप कुछ परिवर्तन जरुरी हैं। पाठक इस लेख के लेखक को कोसें नहीं, लेख में वर्णित व्यवस्था लेखक को राजस्थान में वर्षों कार्य के दौरान प्राप्त वृहत अनुभवों पर बलवती होती धारणा पर आधारित है। कृषि उच्च शिक्षा की एक परिवर्तित प्रणाली, जिसमें महाविद्यालय बनाने और अध्यापकों की नियुक्ति से निजात मिलेगी। लेखक ने इस प्रणाली को बिना अन्य से विमर्च और सम्बाद किये स्वंय ही रूप देने का प्रयास किया है।

इस प्रणाली को उत्पन्न करने और मूर्तरूप देने में प्रदेश सरकार की कृषि विश्वविद्यालयों पर सदैव आर्थिक दृष्टि से आंसू बहाने का दृश्य मुख्य कारक रहा। कृषि शिक्षा को राजस्थान सरकार फ़िज़ूल का उपक्रम मानती रही है और इसीलिये कृषि उच्च शिक्षा के उन्नयन के लिए प्रदेश सरकार सदैव उदासीन, गैरजिम्मेदार और कभी कभी विरोधी भी रही है। मेरी समझ से इसका मुख्य कारण योजना नियोजकों को कृषि के असंख्य पहलुओं पर उनकी सभी स्तरों पर अनिभिज्ञता और नासमझी ही है। प्रदेश के बहुत से अधिकारिओं को अभी तक ज्ञात होगा कि उच्च माध्यमिक शिक्षा में कृषि विषय भी एक विशेष शाखा के तौर पर पढ़ाया जाता था। जहाँ छात्र विज्ञान, कला, वाणिज्य मुख्य विषय के रूप में पढ़ते थे वहाँ कुछ छात्र कृषि सम्बंधित विषय भी पढ़ कर हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण करते थे। ऐसा नहीं था कि उच्च माध्यमिक स्तर पर कृषि केवल राजस्थान में ही पढ़ाई जाती थी अपितु उत्तर प्रदेश सहित अनेक प्रांतों में कृषि विषय माध्यमिक शिक्षा में समान आदर के साथ विषयों में सम्मिलित था। लेखक ने भी मिशन बॉयज स्कूल एटा और नारायण इंटर कॉलेज शिकोहाबाद से इंटरमीडिएट कृषि में पास की थी तत्पश्चात उसी योग्यता और मेरिट के आधार पर स्नातक पाठ्यक्रम में एक बल्कि दो बड़े महाविद्यालयों यथा कृषि और पशुपालन व् चिकित्सा में मथुरा में प्रवेश भी मिल गया था। आशय बताने का यह कि माध्यमिक स्तर की कृषि शिक्षा मेडिकल और अभियांत्रिक के पात्र बायोलॉजी एवं विज्ञान व् गणित की भांति ही समानरूप से महत्वपूर्ण थी।

इतना कुछ भूमिका वर्णन करने के पश्चात् अब मुख्य विषय पर लौटता हूँ।

हमें ज्ञात है कि पौराणिक काल में शिक्षा गुरु –शिष्य आधार पर ही दी जाती थी। उस काल में महाविद्यालय अथवा कक्षा कक्ष की कोई आवश्यकता न थी। शिष्य और गुरु बरगद अथवा अन्य किसी ऐसे ही छायादार वृक्ष के नीचे जमींन पर बैठ कर ज्ञान और संस्कारों का आदान–प्रदान करते थे। अधिक समय नहीं गुजरा स्वामी विवेकानंद जी ने भी कुछ इसी भाँती शिक्षा पाई थी। वर्तमान की शिक्षा के संसाधनों को देखते हुए कल्पना भी नहीं की जा सकती कि कालान्तर में पढ़ाई पेड़ या घासफूस की झोंपड पट्टी में होती थी। यह सही है कि विज्ञान और संसाधनों में उन्नति होने से शिक्षण संस्थाओं का रूप भी बदला है। फ़लस्वरूप,आज की शिक्षा कहीं अधिक धन परस्त और खर्चीली हो चुकी है। और जब सम्पूर्ण शिक्षा का भार सरकारों को वहन करना पडे तो अधिकारिओं के पसीनें छूटने लाजमी है। ज्ञान में अपार वृद्धि से शिक्षा के इतने अधिक आयाम हो चुके हैं कि उनको गिनना मुश्किल है।

कृषि शिक्षा में भी अभूतपूर्व विकास विषय सामग्री के हिसाब से हुआ वहीँ अनुसन्धान और एक्सटेंशन शिक्षा के नेशनल लेवल पर कई संस्थाएं स्थापित हो गई। जिनमें भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् नई देहली प्रमुख है। इस लेख को लिखते समय दिनांक 14 दिसंबर को राजस्थान के मुख्य सचिव की अखवारी खबर कि रिक्त पदों के भरने की प्रक्रिया को गति देकर नियुक्तियां की जायँ। प्रश्न ये है जब सरकार ने नियुक्ति प्रणाली को शुरू ही नहीं क्या तो फिर गति किसको और फिर उनका निर्देश किसको है जबकि वे खुद ही सर्वेसर्वा हैं। नियुक्ति का अधिकार भी सरकार के ही पास है। जनता को मूर्ख बनाने और एक सफूगा छोडने के अलावा ऐसा निर्देश कोई मायनें नहीं रखता। पाठक इस बात पर चिंतन करें कि कक्षाओं में पढ़ाई कैसे हो रही है जब उचित अध्यापक ही नहीं हैं और पढ़ाई की निगरानी के लिए महाविद्यालय का प्रिंसिपल अथवा अधिष्ठाता भी महाविद्यालय में पढ़ाये जाने वाले किसी भी विषय का नहीं है। है न, पहेली, क्योंकि बिना उचित विषय विशेषज्ञ के कौन पढ़ा रहा है और क्या पढ़ा रहा है? परीक्षा भी हो रही है और छात्र उत्तीर्ण भी हो रहे हैं, है न आश्चर्य?

इसका कारण, कृषि अनुसन्धान परिषद् ने सभी विषयों के पाठ्यक्रम के अनुसार नोट्स नेट पर उपलब्ध करवा रखे हैं। छात्र उन्हें ही अपने स्मार्ट फ़ोन में पढ़ते हैं इसलिए उन्हें सैद्धांतिक पढ़ने के लिए कक्षा और टीचर की जरुरत नहीं पडती। इस प्रकार थ्योरी क्लासेज की गुल्थी तो सुलझती प्रतीत लग रही है फिर भी इन नोट्स में वर्णित विषय सामग्री को और अधिक ग्राह्य तथा विकसित किया जा सकता है। अब दूसरी यह कि प्रैक्टिकल कक्षाओं का क्या होता है? कृषि में ऐसे विषय भी हैं जिनमें प्रैक्टिकल खेतों, फार्म, नदिओं, तालाबों, बनों, बाधों, और फसलें उगे हुए किसानों के खेतों पर कराये जा सकते हैं। अभी तो करोड़ों रुपये के महंगे प्रयोशाला उपकरण वर्षों से धूल चाट रहे हैं और संभवतः अनेक जंग खाकर बेकार भी हो चुके हों? खोजबीन करने पर मालूम हुआ कि प्रैक्टिकल तो विषय का टीचर नहीं होते हुए कराये ही नहीं जा रहे हैं। प्रयोगशाला सहायक ही नहीं है, किराये का टीचर ही लैब में जाकर कतिपय उपकरण दिखा कुछ बता देता है अधिक बताने के लिए उसके पास भी नॉलेज नहीं, उसे तो कालांश किसी प्रकार पूरा करना है। वह हो जाता है आखिर में उसका पारश्रमिक बना कर अदा कर दिया जाता है। लेखक चूँकि इस विषय पर अधिक गंभीर था तो अनेक व्यक्तिओं से पूंछ कर वांछित जानकारी जुटाना संभव हो सका। प्रदेश सरकार को कृषि अनुसन्धान परिषद् का शुक्रगुजार होना चाहिए कि छात्रों को प्रत्येक विषय के विस्तृत विवरण नेट पर उपलब्धहैं अतः कक्षा में पढ़ाने के लिए किसी टीचर की नियुक्ति की जरुरत नहीं। भारी वेतन पर होने वाले खर्च से निजात मिलेगी।

अब केवल प्रैक्टिकल करने या कराने की बात शेष रहती है। मेरे पास विकल्प हैं लेकिन उसके लिए विचार–विमर्श सरकार के स्तर पर भी जरुरी है। सरकार के प्रशासन वर्ग को मैं सबसे अधिक शिक्षित, बुद्धिमान और विवेकशील मानता हूँ इसलिए इस विषय पर आगे मंथन वहां से भी अपेक्षित है।

यदि यह प्रणाली कारगर हो गई तो प्रदेश सरकार के लिए तो वरदान साबित होगी और छात्र का समय बचेगा। रिक्त पदों और उन्हें भरने की जरुरत भी नहीं पड़ेगी और आर्थिक दृष्टि से धन की अपार बचत होगी। सरकार की आर्थिक शक्ति भी सुद्रण हो जाएगी। जय कृषि जय किसान जय भारत।

–प्रो.वीर बहादुर सिंह, पूर्व कुलपति एवं अधिष्ठाता डेरी व् खाद्य,
महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी वि. विद्यालय, उदयपुर

राजस्थान उच्च शिक्षा बजट प्रस्ताव 2026-27

अशोक कुमार

राजस्थान के युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करने और राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए उच्च शिक्षा में निवेश अनिवार्य है। बजट प्रस्तावों को केवल व्यय के रूप में नहीं, बल्कि मानव पूंजी में निवेश के रूप में देखा जाना चाहिए। इन क्षेत्रों में पर्याप्त बजट आवंटन राज्य की उच्च शिक्षा प्रणाली को एक मजबूत, समावेशी और विश्व स्तरीय प्रणाली में बदल सकता है।

राजस्थान की उच्च शिक्षा को संवारने में राज्य के विश्वविद्यालयों के शिक्षकों एवं गैर–शैक्षणिक कर्मचारियों का अमूल्य योगदान रहा है। विकसित राजस्थान के संकल्प को सिद्ध करने हेतु प्रदेश के ये उच्च शिक्षण संस्थान आधारस्तंभ हैं। वर्तमान में विश्वविद्यालयों में पेंशन भुगतान को लेकर अक्सर असमंजस और देरी की स्थिति बनी रहती है। अतः आगामी बजट में विश्वविद्यालयों के लिए एक स्थायी पेंशन कॉर्पस फंड का प्रावधान किया जाए ताकि कर्मचारियों को नियमित भुगतान सुनिश्चित हो सके। यदि विश्वविद्यालयों में सामाजिक सुरक्षा, पेंशन का अभाव रहा, तो प्रदेश के मेधावी युवा अध्यापन के बजाय अन्य सेवाओं की ओर पलायन करेंगे, जिससे अंततः राजस्थान की उच्च शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होगी।आगामी बजट 2026-27 में राजस्थान के समस्त राज्य विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना के सुचारू क्रियान्वयन हेतु स्पष्ट बजट आवंटन की घोषणा होनी चाहिए।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और संकाय विकास : उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सीधे शिक्षकों की क्षमता और संसाधनों से जुडी होती है।

1. संकाय की भर्ती और प्रशिक्षण: शिक्षकों की स्थायी भर्ती: विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए एक विशेष भर्ती अभियान चलाने हेतु पर्याप्त बजट आवंटित किया जाए।

शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र: सभी विश्वविद्यालयों में एक समर्पित शिक्षक प्रशिक्षण एवं उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए फंड। ये केंद्र एनइपी 2020 के अनुरूप मल्टीडिसिप्लिनरी शिक्षा, डिजिटल शिक्षण विधियों और शोध नैतिकता पर अनिवार्य प्रशिक्षण देंगे। शोध प्रोत्साहन: शिक्षकों को राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंसेस में भाग लेने और उच्च गुणवत्ता के पीयर–रिव्यूड जर्नल्स में प्रकाशन के लिए प्रोत्साहन राशि

2. पाठ्यक्रम और मूल्यांकन सुधार:

कौशल–आधारित शिक्षा: कौशल विकास और इंटर्नशिप को मुख्य पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने के लिए बजट। इसके लिए स्थानीय उद्योगों और एमएसएमइएस के साथ साझेदारी विकसित करने हेतु फंड।

अद्यतन प्रयोगशालाएँ: विज्ञान, इंजीनियरिंग, और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए आधुनिक उपकरणों से युक्त प्रयोगशालाओं को अपग्रेड करने हेतु एक आधुनिकीकरण कोष।

1. डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर:

डिजिटल पहुँच का विस्तार: सभी सरकारी कॉलेजों को हाई–स्पीड इंटरनेट और वाई–फाई से लैस करने के लिए डिजिटल पहुँच मिशन।

ई–संसाधन सब्सक्रिप्शन: सभी छात्रों और संकाय के लिए राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय जर्नलों (जैसे– स्कोपस) की सदस्यता लेने हेतु केंद्रीय फंडिंग।

स्मार्ट क्लासरूम: 75 प्रतिशत से अधिक कक्षाओं को स्मार्ट क्लासरूम (प्रोजेक्टर, इंटरैक्टिव बोर्ड) में बदलने के लिए विशेष परियोजना।

2. भौतिक बुनियादी ढाँचा:

कॉलेज भवन और छात्रावास: दूरदराज के क्षेत्रों और छात्राओं के लिए नए छात्रावासों के निर्माण और पुराने भवनों के जीर्णोद्धार के लिए बड़ा बजट।

विश्वविद्यालय शोध उपकरण: उच्च–स्तरीय शोध उपकरण जैसे स्पेक्ट्रोमीटर, उच्च–प्रदर्शन कंप्यूटिंग क्लस्टर आदि खरीदने के लिए एक शोध उपकरण खरीद निधि।

तीसरा– पहुँच, समानता और समावेशन : राजस्थान के सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाने के लिए वंचित समूहों तक पहुँच सुनिश्चित करना आवश्यक है।

1. छात्राओं के लिए विशेष योजनाएँ:

"उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना": ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाली छात्राओं को उच्च शिक्षा पूरी करने के लिए नकद प्रोत्साहन या ट्यूशन फीस में पूर्ण छूट।

सुरक्षित परिवहन: छात्राओं को कॉलेज तक पहुँचने के लिए सुरक्षित और सब्सिडीयुक्त परिवहन सुविधाएँ प्रदान करने हेतु बजट।

2. वंचित समूहों के लिए समर्थन:

विशेष कोचिंग: एससी/ एसटी/ ओबीसी छात्रों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं (जैसे– एनइटी, यूपीएससी, आरपीएससी) की तैयारी हेतु मुफ्त कोचिंग सेंटर स्थापित करने और चलाने के लिए फंड।

दिव्यांगजन सहायता: एनइपी 2020 के अनुसार, दिव्यांग छात्रों के लिए बाधा–मुक्त परिसर, विशेष शिक्षण सामग्री और सहायक प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने के लिए अलग कोष।

चौथा– अनुसंधान और नवाचार विश्वविद्यालयों को ज्ञान सृजन के केंद्र में बदलना।

पाँचवा– शासन और जवाबदेही संस्थागत प्रभावशीलता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना।

डेटा प्रबंधन प्रणाली: समय पर और सटीक डेटा संग्रह के लिए सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में एक मजबूत प्रबंधन सूचना प्रणाली लागू करने हेतु बजट। यह एआईएसएचइ रिपोर्ट में देरी जैसी समस्याओं से बचने में मदद करेगा।

संस्थागत स्वायत्तता प्रोत्साहन: अच्छा प्रदर्शन करने वाले और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों को अधिक वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्तता देने के लिए प्रदर्शन–आधारित प्रोत्साहन

वित्तीय लेखापरीक्षा: आवंटित बजट के प्रभावी और पारदर्शी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए नियमित वित्तीय और शैक्षणिक लेखापरीक्षा के लिए व्यवस्था। विज्ञान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में किया गया निवेश राज्य के दीर्घकालिक आर्थिक विकास और युवाओं के लिए रोजगार सृजन की कुंजी है।

विज्ञान और एआइ तकनीक के लिए बजट प्रस्ताव

इन प्रस्तावों को तीन प्रमुख स्तंभों में विभाजित किया जा सकता है: बुनियादी ढाँचा, मानव पूंजी , और अनुसंधान एवं नवाचार।

प्रथम– बुनियादी ढाँचा और डिजिटल क्षमता निर्माण

1. उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधाएँ:

एआइ सुपरकंप्यूटिंग क्लस्टर: राज्य के शीर्ष तकनीकी विश्वविद्यालयों (जैसे– आइआइटी, एनआइटी, या प्रमुख राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज) में एक या दो उच्च–प्रदर्शन कंप्यूटिंग क्लस्टर स्थापित करने के लिए फंड।

मांग: जीपीयू सर्वर, शीतलन प्रणाली, और इनके संचालन एवं रखरखाव के लिए एक समर्पित वार्षिक बजट।

2. अटल टिंकरिंग लैब और एसटीइएम लैब का विस्तार:

उच्च शिक्षा में अटल लैब: स्कूली शिक्षा में सफलतापूर्वक लागू एटीएल मॉडल को उच्च शिक्षण संस्थानों (विशेषकर पॉलिटेक्निक और छोटे इंजीनियरिंग कॉलेजों) में एडवांस्ड एसटीइएम लैब के रूप में विस्तारित करने हेतु बजट।

मोबाइल विज्ञान वैन: ग्रामीण क्षेत्रों के कॉलेजों में विज्ञान और तकनीक के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए सुसज्जित मोबाइल विज्ञान और एआइ लैब वैन की खरीद और संचालन के लिए फंड।

द्वितीय– मानव पूंजी और कौशल विकास और विज्ञान के लिए कुशल कार्य बल तैयार करना।

1. एआइ उत्कृष्टता केंद्र:

राज्य एआइ केंद्र: कम से कम चार क्षेत्रीय एआइ उत्कृष्टता केंद्र (जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर) स्थापित करने के लिए पर्याप्त आवंटन, जैसा कि केंद्र सरकार के इण्डिया एआइ मिशन में भी प्रस्तावित है (जिसके लिए 10,372 करोड़ से अधिक आवंटित किए गए हैं)।

फोकस क्षेत्र: इन केंद्रों को राज्य की आवश्यकताओं के अनुरूप विशिष्ट क्षेत्रों (जैसे एग्री–एआइ, हेल्थ–एआइ, गवर्नेंस–एआइ) पर केंद्रित होना चाहिए।

2. संकाय अपस्किलिंग और भर्ती:

एआइ संकाय फैलोशिप: इंजीनियरिंग और विज्ञान कॉलेजों के शिक्षकों को एआइ/एमएल में नवीनतम तकनीकों का प्रशिक्षण देने के लिए एआइ संकाय फैलोशिप कार्यक्रम शुरू करने हेतु बजट।

विषय–विशेषज्ञों की भर्ती: एआइ, डेटा साइंस, और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे उभरते क्षेत्रों में उद्योग विशेषज्ञों को अल्पकालिक या विजिटिंग फैकल्टी के रूप में नियुक्त करने के लिए आकर्षक वेतन पैकेज का प्रावधान।

3. कौशल आधारित पाठ्यक्रम:

डिजिटल साक्षरता और एआइ प्रमाणन: सभी स्नातक पाठ्यक्रमों (कला, वाणिज्य, विज्ञान) में बुनियादी डिजिटल साक्षरता और एआइ के नैतिक उपयोग पर एक अनिवार्य प्रमाणन पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए पाठ्यक्रम विकास और प्रशिक्षण लागत हेतु बजट।

तीसरा– अनुसंधान, नवाचार और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र

ज्ञान सृजन और प्रौद्योगिकी हस्तांतरणको बढ़ावा देना।

1. अनुसंधान अनुदान :

एआइ मुख्यमंत्री और विज्ञान शोध ग्रांट: राज्य के शोधकर्ताओं को उच्च प्रभाव वाले और सामाजिक रूप से प्रासंगिक शोध के लिए बीज अनुदान प्रदान करने हेतु एक बड़ा और समर्पित राज्य शोध निधि का निर्माण।

थीम–आधारित अनुदान: विशेष रूप से राजस्थान की समस्याओं (जैसे जल प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, मरुस्थलीकरण) को हल करने वाले शोध के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन।

2. नवाचार और स्टार्टअप को प्रोत्साहनः

डीप–टेक इन्क्यूबेशन केंद्र: विज्ञान और एआइ में काम कर रहे स्टार्टअप्स के लिए डीप–टेक इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित करने और उन्हें पहले वर्ष में 5 लाख तक का प्रूफ–ऑफ–कॉन्सेप्ट अनुदान देने के लिए बजट।

पेटेंट और बौद्धिक संपदा सहायता: विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं और स्टार्टअप्स द्वारा फाइल किए गए पेटेंट की लागत (आवेदन शुल्क, कानूनी शुल्क) को कवर करने हेतु शत–प्रतिशत वित्तीय सहायता।

3. सार्वजनिक–निजी भागीदारी:

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व भागीदारी: कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कंपनियों को अपने सीएसआर फंड का एक हिस्सा विज्ञान और एआइ में शोध एवं विकास पर खर्च करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु नीतिगत और बजटीय प्रोत्साहन देना। इन प्रस्तावों का उद्देश्य राजस्थान को केवल प्रौद्योगिकी का उपयोगकर्ता नहीं, बल्कि एआइ और विज्ञान के क्षेत्र में एक अग्रणी निर्माता बनाना होना चाहिए।

–अशोक कुमार,
पूर्व कुलपति कानपुर, गोरखपुर विश्वविद्यालय,
विभागाध्यक्ष राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर

राशिफल

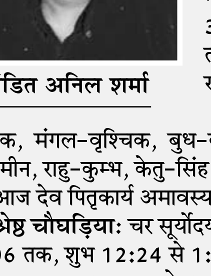

पंडित अनिल शर्मा

शुक्रवार 19 दिसम्बर, 2025

पौष मास, कृष्ण पक्ष, अमावस्या, शुक्रवार, विक्रम संवत 2082, ज्येष्ठा नक्षत्र रात्रि 10:51 तक, शूल योग दिन 3:47 तक, चतुष्पद करण सायं 6:06 तक, चन्द्रमा आज रात्रि 10:51 से धनु राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य–धनु, चन्द्रमा–वृश्चिक, मंगल–वृश्चिक, बुध–वृश्चिक, गुरू–मिथुन, शुक्र–वृश्चिक, शनि–मीन, राहु–कुम्भ, केतु–सिंह राशि में।

आज देव पितृकार्य अमावस्या, वकुला अमावस्या है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर सूर्योदय से 8:32 तक, लाभ–अमृत 8:32 से 11:06 तक, शुभ 12:24 से 1:41 तक, चर 4:16 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 7:14, सूर्यास्त 5:33 तक

मेष
अपनी कार्य योजना को सीमित रखें। चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ–मांगलिक कार्यों में व्यवधान हो सकता है। आज बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है।

वृष
परिवार में आपसी सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। परिवार में महत्वपूर्ण–मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। आज व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मिथुन
विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अनहोनी की आशंका से बना हुआ मन का भय समाप्त होगा। दिनचर्या में सुधार होगा। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी।

कर्क
परिजनों के व्यवहार के कारण दु:ख हो सकता है। आज ईर्ष्या–वैमनस्यता के कारण परेशानी हो सकती है। खान–पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है।

सिंह
घर–गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। परिवार में स्वास्थ्य संबंधित परेशानी रहेगी। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। वाद–विवाद टालना ठीक रहेगा।

कन्या
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। मित्रों/रिश्तेदारों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

तुला
आर्थिक कारणों से अटके हुए व्यावसायिक कार्य बनने लगेंगे। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। आर्थिक मामलों में परिजनों से सहयोग मिल सकता है। व्यावसायिक यात्रा संभव है।

वृश्चिक
व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। अटके हुए व्यावसायिक कार्य बनने लगेंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनोबल–आत्मविश्वास बढ़ेगा।

धनु
घर–परिवार के कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। घर–गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। आज समय अनर्गल कार्यों में खराब हो सकता है। मन में असंतोष बना रहेगा।

मकर
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। संभावित धन प्राप्त हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। परिवार में धार्मिक–मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

कुंभ
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे।

मीन
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में धार्मिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।